संख्या–555 / 15–11–2015

प्रेषक,

एच0एल0 गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक 15 मई, 2015

विषयः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 के प्रस्तर 5(3) के क्रम में बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–रा0शै0 / 5934 / 2015–16 दिनांक 06.05.2015 एवं पत्रांक–रा0शै0 / 7662 / 2014–15 दिनांक 14.05.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 के प्रस्तर 5(3) के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा जारी एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है, के दृष्टिगत निजी संस्थानों को एन0ओ0सी0 जारी करने हेतु 'एस0सी0ई0आर0टी0' को अधिकृत किया जाता है।

3– एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा एन0ओ0सी0 जारी करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा–

1. संस्थान को संचालित करने वाली सोसायटी रजिस्टर्ड एवं अद्यतन नवीनीकृत है अथवा नहीं।
2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु एन0सी0टी0ई0 मानक के अनुसार भूमि संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है अथवा नहीं।
3. सोसायटी के आय एवं व्यय के विवरण के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा हस्ताक्षरित बैलेंस शीट प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं।
4. जिस क्षेत्र में आवेदित पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु एन0ओ0सी0 की मांग की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, शिक्षकों की मांग व पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर उक्त पाठ्यक्रम की आवश्यकता है अथवा नहीं।
5. एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित संस्था के प्रबंधक का अन्डरटैकिंग जिसमें यह उल्लेख हो कि मैनें एन0सी0टी0ई0 अधिनियम 1993 व एन0सी0टी0ई0 (मान्यता के मानक व प्रकिया) विनियमावली 2014 का भलीभांति अध्ययन कर लिया है और उसमें दिये गये

शर्तों से मैं पूर्णतया अवगत हूँ। किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुतीकरण के लिए मैं पूर्णतया जिम्मेदार रहूँगा, इस संदर्भ में क्षेत्रीय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह मुझे मान्य होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत है तो सोसायटी या मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Tiwari-HP

निजी बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम की नवीन मान्यता के लिए आवेदन के लिए एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र निर्गत करने संस्था प्रेषित किये जाने वाले पत्रजातों का विवरणः–

1. संस्थान को संचालित करने वाली सोसायटी रजिस्टर्ड एवं अद्यतन नवीनीकृत के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।
2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु एन0सी0टी0ई0 मानक के अनुसार भूमि संस्थान राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के प्रमाण स्वरूप बैनामा एवं खतौनी।
3. सोसायटी के आय एवं व्यय के विवरण के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा हस्ताक्षरित अद्यतन बैलेंस शीट।
4. जिस क्षेत्र में आवेदित पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु एन0ओ0सी0 की मांग की जा रही है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, शिक्षको की मांग व पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर उक्त पाठ्यक्रम की आवश्यकता हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाये।
5. एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक का अन्डरटैकिंग जिसमें यह उल्लेख हो कि मैने एन0सी0टी0ई0 अधिनियम 1993 व एन0सी0टी0ई0 (मान्यता के मानक व प्रक्रिया) विनियमावली 2014 का भलीभॉति अध्ययन कर लिया है और उसमें दिये गये शर्तों से पूर्णतया अवगत हूँ। किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुतीकरण के लिए मैं पूर्णतया जिम्मेदार रहूँगा, इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह मुझे मान्य होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत है तो सोसायटी या मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

16.5

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।